संख्या-192/2015/1137/22-4-15-50(7नि0)/99टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 14 अक्टूबर, 2015

विषय-प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 10 संवदेनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-17843/आधु0-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक 21 मई, 2015 एवं पत्र संख्या-20618/आधु0-1/ मो0फो0जै0/2014, दिनांक 23 जून, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु 10 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमन स्थापित किये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (ईसीआईएल) को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए तालिका में अंकित विवरणानुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल रू0 71,78,86,240/-(रूपया इकहत्तर करोड़ अठहत्तर लाख छियासी हजार दो सौ चालीस मात्र)की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों केअधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये में)

क्र0	कारागारों के नाम	प्रस्ता0 जैमरों की संख्या	प्रस्ता0 प्रति टावरों की संख्या	प्रस्तावित प्रति जैमर की मूल लागत	प्रस्तावित सीएसटी एवं सर्विस टैक्स की धनराशि	01 जैमर की टैक्स सहित कुल लागत	01 अदद टावर की मूल लागत	प्रस्तावित सीएसटी एवं सर्विस टैक्स की धनराशि	इन्सटालेशन व कमीशनिंग चार्जेससर्विस टैक्स सहित प्रति जैमर	प्रति यूनिट इलेक्ट्रानिक वर्क	एकम सम्पूर्ण यूनिट की लागत	कुल स्वीकृत लागत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	के0का0 नैनी	28	28	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	150006080
2	जि0का0 लखनऊ	24	24	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	128576640
3	जि0 का0 कानपुर	06	06	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	32144160
4	जि0का0 वाराणसी	06	06	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	32144160
5	जि0का0 मिर्जापुर	08	08	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	42858880
6	जि0का0 मेरठ	15	15	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	80360400
7	जि0का0 गाजियाबाद	12	12	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	64288320
8	जि0का0 गौतमबुद्धनगर	20	20	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	107147200
9	जि0का0 मुजफ्फरनगर	06	06	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	32144160
10	जि0का0 सुलतानपुर	09	09	4500000	225000	4725000	400000	20000	112360	100000	5357360	48216240
											योग-	**717886240**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) उक्त धनराशि का व्यय /उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

(2) उपकरणों का क्रय वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर इस सम्बन्ध में वित्त विभाग एवं लघु उद्योग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन आफ इण्डिया (ईसीआईएल) द्वारा स्थापित किये जाने वाले जैमरों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 एंव सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जैमरों का क्रय करते समय क्रय सम्बन्धी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक अनिवार्य रूप से कर लिया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(8) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग/व्यय उसी पर किया जायेगा। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा की जायेगी।

(9) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-40-कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीन और सज्जा/उपकरण ओर संयंत्र मद" में उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-1339/दस-2015, दिनांक- 12 अक्टूबर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव

संख्या-192/2015/1137(1)/22-4-15-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) प्रबन्ध निदेशक, बी-2 शापिंग काम्पलेक्स , रिंग रोड नारायना, नई दिल्ली।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0के0रघुवंशी)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in